राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 3( )पोषा/AG/ICDS/2012/56356-388 जयपुर, दिनांक 10.4.2017

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :– पूरक पोषाहार वितरण के संबंध में जारी निर्देशों की पालना एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण किए जानें के सम्बन्ध में

प्रसंग :–समसंख्यक विभागीय आदेश क्रमांक 137771–803 दि.11.10.2013, 31247–79 दि. 07.04.2014, 35408–757 दि. 11.04.2014, 54053–85 दि. 17.06.2015, 71221–557 दि. 31.07.2015, 85030–63 दि. 10.09. 2015, 112094–2126 दि. 10.12.2015, 19514–46 दि. 19.02.2016 एवं 47458–90 दि.27.03.2017

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर पोषाहार वितरण (Take Home Ration) का रजिस्टर बनाया जाकर पोषाहार वितरण का लेखा–जोखा निर्धारित प्रारूप में संधारित करने, सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर लाभान्वितों को टेक हॉम राशन का वितरण गुरूवार को ही करने एवं ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर के अधिकारियों को यथा सम्भव अपने दौरे में मंगलवार एवं बुधवार को शामिल करने के निर्देश जारी किये गये है, ताकि गुरूवार को वितरण से पूर्व पोषाहार की जांच की जा सकें। साथ ही स्वयं सहायता समूहो के पोषाहार निर्माण स्थल का निरीक्षण भी आवश्यक रूप से किये जाने के निर्देश जारी किए गए है। उक्त व्यवस्था की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी दिये जाने एवं पोषाहार का वितरण यथा सम्भव जनप्रतिनिधियों अथवा समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु आंगनबाडी स्तरीय निगरानी व सहायता समिति के सदस्यों (आशा सहयोगिनी, सखी व आंगनबाडी कार्यकर्ता को छोडकर) की उपस्थिति में किये जाने तथा उनके उपस्थित होने पर पोषाहार वितरण पंजिका पर उनके हस्ताक्षर कराने तथा महिला पर्यवेक्षक द्वारा स्वयं सहायता समूहों के बिल प्रमाणित करते समय बिल पर यह स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करने कि इस पोषाहार का इन्द्राज पोषाहार स्टॉक रजिस्टर में कर लिया गया है एवं पोषाहार वितरण रजिस्टर नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है, के निर्देश जारी किये गये है।

जनलेखा समिति वर्ष 2015–16 के 108 वे प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 4 में विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण नही किए जाने एवं विभागीय निर्देशों की पूर्ण पालना नही होने को गम्भीरता से लिया गया है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि पूरक पोषाहार के नियमित वितरण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना एवं निर्धारित मापदण्डो के अनुसार निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करावें ।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in

क्रमांक–एफ. 3( )पोषा/AG/ICDS/2012/55389-738 जयपुर, दिनांक 10.4.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदया, मबावि, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, मबावि, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय कों प्रेषित कर अनुरोध है कि जनलेखा समिति की सिफारिश की अनुपालना में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आवंटित जिलों का निरीक्षण कर विभागीय निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें ।
5. संयुक्त निदेशक, मोनेटरिंग, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि समस्त जिला अधिकारियों एवं परियोजना अधिकारियों द्वारा किए जा रहें निरीक्षणों की सधन मोनेटरिंग कराया जाना सुनिश्चित करावें
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।

(मनोज कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in